BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 929 OF 2024

IN THE MATTER OF:

TRIBUNAL ON ITS OWN MOTION

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit of District Magistrate Meerut in compliance of the order dated 05.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure R-1: -** A copy of the order dated 05.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
3.	**Annexure R-2: -** A copy of the minutes of the meeting	
4.	**Annexure R-3 (Colly.): -** A copy of the report dated 28.04.2025, submitted by Tehsildar Mawana, report submitted by	

	Tehsildar Sardhana 26.04.2025	
5.	**Annexure R-4: -** A copy of eviction order passed on 25.03.2025	
6.	**Annexure R-5: -** A copy of the report dated 28.04.2025	

FILED THROUGH

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)
STANDING COUNSEL STATE OF UP
A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013
MOB:- 09990804440
Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 929 OF 2024

NOTARIAL
NOTARIAL
NOTARY
M.P.S. RAJPUT
DISTT. MEERUT
REGD. 168
GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

TRIBUNAL ON ITS OWN MOTION

....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENTS

AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT, IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 05.03.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 2 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Dr. Vijay Kumar Singh, aged about 54 years, S/o Sri Parmanand Singh presently posted as District Magistrate – Meerut, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under:-

1. That the deponent herein is the authorized officer of answering Respondent No. 2 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

NOTARY
M.P.S. RAJPUT
DISTT. MEERUT
REGD. 168
GOVT. OF INDIA

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

4. That the Deponent is posted as District Magistrate- Meerut, since 18.01.2025 and is swearing this affidavit in his official capacity.

5. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 05.03.2025 was pleased to issue the following directions: -

> *".....2. In view of the substantial environmental questions involved in the present case, we consider it necessary to have response of (1) State ofUttar Pradesh through Secretary, Environment, Government of U.P. (2)District Magistrate, Meerut, (3) U.P. State Wetland Authority, (4) DistrictWetland Authority, Meerut, (5) Divisional Forest Officer, Meerut and, (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board who are impleaded as respondents no. 1 to 6.*
>
> *3. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 6*

NOTARY M.P.S. RAJPUT DIST. MEERUT REGD. NO. 68 GOVT. OF INDIA

requiring them to file their replies/responses by way of affidavits regarding action taken for compliance of directions issued by Hon'ble Supreme Court and this Tribunal with respect to restoration/rejuvenation of pond and removal of encroachments at least one week before the date of hearing fixed.

4. List on 06.05.2025 for further consideration......"

A copy of the order dated 05.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**

6. That the present response is being filed in respectful compliance of the order dated 05.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, in this present Original Application.

7. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 04.09.2024, formed a Joint Committee and directed it to submit a report within a period of 2 months giving details of ponds in District Meerut; including all specifications relating to are, ownership, status of encroachment etc.

8. That in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal vide order dated 04.09.2024, a detailed report was submitted by the Joint Committee (through the Deponent) on 11.11.2024. It was therein disclosed that District Meerut comprises a total of 3,528 ponds, of which 3,144 are situated in rural areas and 384 in urban areas.

NOTARY
INDIA

9. That itwas stated that out of the total ponds, 2,949 are free from encroachments; however, 61 ponds have been encroached upon by the erection of temporary structures and 570 ponds by the construction of permanent structures. It is also mentioned that in respect of 80 such encroachments, proceedings under Section 67 of the U.P. Revenue Code are presently pending, and in two cases, proceedings are underway under the provisions of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971.

10. That a recent meeting of the District Wetlands Committee was convened on 23.04.2025 under the chairmanship of the deponent, wherein the Divisional Director of Social Forestry, Meerut Division, conveyed that, in compliance with the order dated 05.04.2025, passed by the Hon'ble Tribunal in the present Original Application, as well as in accordance with the guidelines set forth by the Hon'ble Supreme Court, specific directions have been issued concerning the restoration of ponds and removal of encroachments in the District Meerut.A copy of the minutes of the meeting is annexed herewith and marked as **Annexure R-2**.

11. That additionally, the Divisional Directorstated that the restoration efforts for these ponds are actively being undertaken through various governmental schemes and departments, including the Amrit Sarovar

NOTARY INDIA

Yojana, Atal Bhujal Yojana, MGNREGA, Groundwater Fund, Gram Nidhi, and other such programs.

12. That the Tehsildar of Mawana has informed that, out of the cases concerning permanent encroachments as referenced in the earlier report, illegal encroachments have been removed from five ponds. Additionally, the Tehsildar of Sardhana has reported that in twelve such cases involving permanent encroachments, the illegal encroachers have been vacated. A copy of the report dated 28.04.2025, submitted by Tehsildar Mawana, report submitted by Tehsildar Sardhana 26.04.2025 is collectively being annexed herewith and marked as **Annexure R-3 (Colly)**.

13. That the Tehsildar of Mawana has further informed that, in four cases instituted under Section 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, orders for eviction have been duly passed on 25.03.2025. A copy of eviction order passed on 25.03.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-4.**

14. That similarly a report has also been submitted by Tehsildar Sadar Meerut, wherein he has informedthat a total of 34 cases are currently under consideration under Section 67 in Tehsil Sadar, Meerut. Proceedings for eviction have been undertaken in respect of 0.1386 hectares of land. Further, 50 instances of temporary encroachments have

NOTARY
INDIA

been observed on site, consisting primarily of makeshift structures such as huts and debris accumulations, of which 06 encroachments have been successfully removed. Additionally, 248 permanent encroachments have been recorded. A copy of the report dated 28,04.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-5**.

15. That the deponent most respectfully submits before this Hon'bleTribunal that all earnest measures are being undertaken within the District Meerut, to ensure that the ponds are not encroached and are restored to their original nature as per their revenue records.

16. That the present response may be taken on record by this Hon'ble Tribunal, in the interest of justice.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at........Meerut..... on ......3.5.25...... that the contents of the paras 1 to of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
M.P.S. RAJPUT
DIST. MEERUT
REG. NO.
INDIA

Certified That Shri/Smt.......
S/o W/o D/o Shri.......
Residence on.......Meerut
Identified By Shri.......
3.5.25...at about......it is attested
NOTARY, MEERUT

Annexure R-1

Item No.06 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 929/2024

Tribunal on its own motion Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. Respondent

Date of hearing: 05.03.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Ankit Verma, Advocate for State of U.P-respondent no.1.
Mr. B P Singh, Mr. Nakul Nirwan and Mr. Ashish Gupta, Advocates for UPPCB-respondent no.5.

ORDER

1. Report dated 04.03.2025 has been filed by the District Magistrate, Meerut vide email dated 04.03.2025.

2. In view of the substantial environmental questions involved in the present case, we consider it necessary to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Secretary, Environment, Government of U.P., (2) District Magistrate, Meerut, (3) U.P. State Wetland Authority, (4) District Wetland Authority, Meerut, (5) Divisional Forest Officer, Meerut and, (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board who are impleaded as respondents no. 1 to 6.

3. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 6 requiring them to file their replies/responses by way of affidavits regarding action taken for compliance of directions issued by Hon'ble Supreme Court and this Tribunal with respect to restoration/rejuvenation of pond and removal of encroachments at least one week before the date of hearing fixed.

4. List on 06.05.2025 for further consideration.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

March 05th, 2025
Original Application No. 929/2024
AB

Annexure R-2

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ

पत्रांक 4746 / 29—5 दिनांक 24 अप्रैल 2025

सेवा में,

समस्त सदस्य जिला आर्द्रभूमि समिति मेरठ।

विषयः— दिनांक 23.04.2025 को आयोजित जिला आर्द्रभूमि समिति मेरठ की बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय / महोदया

जिलाधिकारी महोदय मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 23.04.2025 को कलेक्ट्रेट कक्ष मेरठ में आयोजित जिला आर्द्रभूमि समिति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त आप सभी को प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में दिये दिशानिर्देशों का समयान्तर्गत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक / सदस्य संयोजक
जिला आर्द्रभूमि समिति, मेरठ।

संख्या 4746 / 29—5 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— विशेष कार्याधिकारी, जिलाधिकारी, मेरठ कैम्प कार्यालय को जिलाधिकारी / अध्यक्ष महोदय जिला आर्द्रभूमि समिति, मेरठ के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2— मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

3— क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ।

(2531)

SDM सरधना / DLRC

कृ0 अनुपालन सुनिश्चित करें

प्रभागीय निदेशक / सदस्य संयोजक
जिला आर्द्रभूमि समिति, मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।
26.4.25

NOTARY M.P.S. RAJPUT DISTT. MEERUT REGD. 68 INDIA

दिनांक 23.04.2025 को कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 23.04.2025 को जिला आर्द्रभूमि समिति मेरठ की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट कक्ष में किया गया। सर्वप्रथम प्रभागीय निदेशक, मेरठ द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तदउपरान्त विभागवार समीक्षा करते हुये निम्नलिखित दिशानिर्देश दिये गये:-

- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 283/81-4-25-1759373 दिनांक 05.03.2025 के माध्यम से मा० उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या-304/2018, 230/2001 एवं 302/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा SAC Atlas 2021 में चिन्हित राज्य के समस्त वैटलैण्ड की ground truthing एवं boundary demarcation का कार्य के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 15.03.2025 एवं 01.04.2025 के सन्दर्भ मे मेरठ/मवाना/सरधना तहसील में आर्द्रभूमियों की Ground Truthing एवं Boundary Demarcation के प्रगति कार्य से अवगत कराया गया, जिसमें बताया गया कि तहसील, मेरठ एवं सरधना से सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो गई है, परन्तु तहसील मवाना से सूचना अभी तक अप्राप्त है।

समीक्षा के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उपजिलाधिकारी, मवाना को निर्देश दिये गये की वह सम्बन्धित कार्यों को तहसील स्तर पर कराकर तत्काल प्रभाव से सूचना प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यदायी विभाग- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ एवं उपजिलाधिकारी, मवाना)

- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 929/2024 के क्रम में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 05.03.2025 को दिये गये आदेश तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के सन्दर्भ में अवगत कराया की जनपद मेरठ में मा० अधिकरण द्वारा तालाबों के पुनरूद्धार एवं अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। साथ ही अवगत कराया गया की मा० अधिकरण में जनपद मेरठ से दाखिल दिनांक 04.03.2025 के अभिलेखो के अनुसार तीनो तहसीलों के उपजिलाधिकारियो से अपेक्षा की गयी की अपने-अपने कार्य क्षेत्र में तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु उचित कार्यवाही की जायें। आगे प्रभागीय निदेशक द्वारा अवगत कराया गया की जनपद में तालाबों के पुनरूद्धार हेतु विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे अमृत सरोवर योजना, अटल भूजल योजना, मनरेगा, भूजल निधि, ग्राम निधि व अन्य योजनाओ के माध्यम से कार्य किये जा रहे है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तथा तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को निर्देश दियें कि अपने-अपने तहसील में सार्वजनिक स्थानों पर तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से जिला आर्द्रभूमि समिति को 10 कार्यदिवसों के अंदर अवगत करायें। इसके अतिरिक्त परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभीकरण, जिला पंचायतीराज अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग मेरठ, लघु सिंचाई विभाग मेरठ, विकास विभाग तथा सिंचाई विभाग आदि को निर्देश दिये की तालाबों के कायाकल्प के कार्य एवं भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की सूचना एवं कार्ययोजना को निर्धारित प्रारूप पर प्रभागीय निदेश कार्यालय को दिनांक 28.03.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, इस कार्य हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(कार्यदायी विभाग– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ, उपजिलाधिकारी, सरधना / मेरठ / मवाना, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभीकरण, जिला पंचायतीराज अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग मेरठ, लघु सिंचाई विभाग मेरठ, विकास विभाग तथा सिंचाई विभाग)

- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 126 / 2025 सोनवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 01.04.2025 के सम्बन्ध में अवगत कराया जिसमें बताया गया कि उक्त प्रकरण में सरधना तहसील में तालाब को अतिक्रमण मुक्त कार्यवाही की जा रही है।

समीक्षा के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी सरधना, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में उचित कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

(कार्यदायी विभाग– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ एवं उपजिलाधिकारी, सरधना)

30.04.25

प्रभागीय निदेशक / सदस्य संयोजक
जिला आर्द्रभूमि समिति, मेरठ।

कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ।
(भूलेख अनुभाग)

संख्या: 1512 / सात–डी0एल0आर0सी0 / 2025 दिनांक: 30-04-2025

प्रतिलिपि:– तहसीलदार, मेरठ मवाना एवं सरधना को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

30/04/25

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।

Annexure-R-3

कार्यालय तहसीलदार मवाना, जनपद मेरठ।

पत्रांक 1024 / र0का0 / 2024-25 दिनांक 28/04/2025

अपरजिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 929 / 2024 Tribunal on its Own Motion Vs State of Up व अन्य में विगत सुनवाई दिनांक 05.03.2025 के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि तहसील मवाना के क्षेत्रान्तर्गत कुल 1113 तालाबो के सापेक्ष 980 तालाब अतिक्रमण मुक्त है। अवशेष अतिक्रमित 133 तालाबो का विवरण निम्न प्रकार है-

1. 05 तालाब अतिक्रमणमुक्त करा दिये गये है।(1. विवरण संलग्न है।)
2. अतिक्रमणयुक्त 13 तालाबो पर तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत 02 तालाबो पर दिनांक 11.02.2025 को बेदखली की कार्यवाही कर दी गई थी तथा 04 तालाबो पर दिनांक 25.03.2025 को बेदखली कार्यवाही की कर दी गई है। अवशेष 07 तालाबो की न्यायिक प्रकिया विचाराधीन है। (2. विवरण संलग्न है।)
3. नगर पंचायत परीक्षितगढ में स्थित तालाब खसरा सं0 776, 1437, 1442 पर नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमणकर्ताओ के विरूद्ध पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गई है।(3. विवरण संलग्न है।)

अवशेष अतिक्रमणयुक्त 112 तालाबो पर 10-50 वर्ष पूर्व आबादी बनी है, जिनका स्थलीय सत्यापन कराते हुए अतिक्रमणकर्ताओ के विरूद्ध कार्यवाही प्रकियाधीन है। (4. विवरण संलग्न है।)

तहसीलदार
मवाना।

उपरोक्त-प्रतिलिपि-:
1. जिलाधिकारी मेरठ, महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी मवाना, महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार
मवाना।

-21 लखनऊ -01

तालाब , जो अतिक्रमणमुक्त कराये गये।								
क्र0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा संख्या	तालाब का कुल क्षेत्रफल	स्वामित्व	वर्तमान रकबा	अतिक्रमित क्षेत्रफल	अतिक्रमण का प्रकार स्थायी /अस्थायी
1	मवाना	सठौती	1054	0.645	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.4	0.24	कब्जामुक्त
2	मवाना	तोफापुर	253 क	0.152	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.152	0.152	कब्जामुक्त
3	मवाना	अमर सिहपुर	287 मी /2	0.537	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.27	0.27	कब्जामुक्त
4	मवाना	सठौती	498/3	2.088	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	2	0.09	कब्जामुक्त
5	मवाना	तोफापुर	364 क	3.542	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	3.4371	0.1	कब्जामुक्त.

2/18

सलंग्नक - 02

न्यायालय तहसीलदार/न्यायिक तहसीलदार में विचाराधीन वाद

क्र0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा संख्या	तालाब का कुल क्षेत्रफल	स्वामित्व	वर्तमान रकबा	अतिक्रमित क्षेत्रफल	अतिक्रमणकर्ता का विवरण	अतिक्रमण का प्रकार स्थायी/अस्थायी	अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मवाना	गोविन्दपुर शकरपुर	471	0.164	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.164	0	रूपचन्द वगै0	स्थाई	धारा 67 की कार्यवाही विचाराधीन है।
2	मवाना	बहजादका	163	0.341	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.341	0.341	परमजीत सिंह वगै0	स्थाई	धारा 67 की कार्यवाही विचाराधीन है।
3	मवाना	जटौला	202	0.215	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.165	0.05		स्थाई	खोला जोहड़ के आंशिक भाग पर कब्जे के सम्बन्ध में न्यायालय तहसीलदार मवाना में धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है।
4	मवाना	बहसौर	599	0.278	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.28		स्थाई	धारा 67 की कार्यवाही विचाराधीन है।
6	मवाना	अकबरपुर सादात	806	1.67	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	1.592	0.08	अरूण वगै0	स्थाई	धारा 67 की कार्यवाही विचाराधीन है।
7	मवाना	रसूलपुर गावड़ी	196	1.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.65	0.45	ईश्वर वगै0	स्थाई	धारा 67 की कार्यवाही विचाराधीन है।
धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली आदेश										
1	मवाना	[illegible]	235	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.101	0.101	श्रीमती बिल्सी व नाहर सिंह वगै0	स्थाई	आदेश दिनांक-11.02.2025 द्वारा बेदखली की कार्यवाही कर दी गई है।

2	मवाना	नंगली किठौर	965	0.556	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.556	0.556	फुरकान वगै0	स्थाई	आदेश दिनांक 11.02.2025 द्वारा बेदखली की कार्यवाही कर दी गई है।
3	मवाना	बहादुरपुर	216	0.392	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.392	0	इलियास वगै0	स्थाई	आदेश दिनांक 25.03.2025 द्वारा बेदखली की कार्यवाही कर दी गई है।
4	मवाना	चिलौना	267/441	0.898	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.709	0.19	सहेन्द्र पुत्र अतर सिंह	स्थाई	आदेश दिनांक 25.03.2025 द्वारा बेदखली की कार्यवाही कर दी गई है।
5	मवाना	अहमदपुरी उर्फ एमनपुरी	346	0.063	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.06	रूपचन्द पुत्र मखोल	स्थाई	आदेश दिनांक 25.03.2025 द्वारा बेदखली की कार्यवाही कर दी गई है।
6	मवाना	बली	164	0.379	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.29	0.09	कृपाल पुत्र भागमल	स्थाई	आदेश दिनांक 25.03.2025 द्वारा बेदखली की कार्यवाही कर दी गई है।
6	मवाना	पूठी	473	0.885	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.6	0.29		स्थाई	पूर्व में धारा 67 [illegible] कार्यवाही कर बेदखली कर दी गई है।

संलग्नक - 03

नगर पंचायत परीक्षितगढ द्वारा तालाबो पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा संख्या	तालाब का कुल क्षेत्रफल	स्वामित्व	वर्तमान रकबा	अतिक्रमित क्षेत्रफल	अतिक्रमण का प्रकार स्थायी /अस्थायी	अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति
1	मवाना	परीक्षतगढ	1437	0.101	नगर पंचायत परीक्षितगढ	0.031	0.07	स्थाई	मौके पर कुछ रकबे में पुरानी आबादी बनी हुई है अवैध कब्जे के सम्बन्ध में पी0पी0 एक्ट की कार्यवाही नगर पंचायत द्वारा कर दी गई है।
2	मवाना	परीक्षतगढ	1442	0.721	नगर पंचायत परीक्षितगढ	0.551	0.17	स्थाई	मौके पर कुछ रकबे मे पुरानी आबादी बनी हुई है अवैध कब्जे के सम्बन्ध मे पी0पी0 एक्ट की कार्यवाही नगर पंचायत द्वारा कर दी गई है।
3	मवाना	परीक्षतगढ	776	0.278	नगर पंचायत परीक्षितगढ	0.248	0.03	स्थाई	मौके पर कुछ रकबे मे पुरानी आबादी बनी हुई है अवैध कब्जे के सम्बन्ध मे पी0पी0 एक्ट की कार्यवाही नगर पंचायत द्वारा कर दी गई है।

स्थाई कब्जे वाले तालाबो की सूची, जिनमे काई कार्यवाही नहीं हुई है।

क्र0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा संख्या	तालाब का कुल क्षेत्रफल	स्वामित्व	वर्तमान रकबा	अतिक्रमित क्षेत्रफल	अतिक्रमण कर्ता का विवरण	अतिक्रमण का प्रकार स्थायी /अस्थायी	अतिक्रमण कर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति	अन्य
1	मवाना	अकबरपुर सादात	502	0.202	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.2		स्थाई		गांव के अंदर पुरानी आबादी बनी हुई है
2	मवाना	अफजलपुर उर्फ [illegible]	295	0.696	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.7		स्थाई		आबादी और रास्ता बना है।
3	मवाना	अल्लीपुर आलमपुर	123	0.063	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.06		स्थाई		कबजा है
4	मवाना	अल्लीपुर आलमपुर	280	0.654	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.454	0.2		स्थाई		आंशिक अतिक्रमण है पानी है
5.	मवाना	अल्लीपुर आलमपुर	286	0.285	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.185	0.1		स्थाई		देवता बने हुए हैं.

6	मवाना	अहमदपुरी उर्फ एमनपुरी	138	0.601	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.46	0.14		स्थाई		पुरानीआबादी/अस्थायी कब्जे है
7	मवाना	अहमदपुरी उर्फ एमनपुरी	346	0.063	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.06		स्थाई		पुरानी आबादी व रास्ते में निहित है
8	मवाना	अहमदपुरी उर्फ एमनपुरी	315	0	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0		स्थाई		गांव की पुरानी आबादी बनी हुई है
9	मवाना	आलमगिरपुर बढ़ला	303m	0.089	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.09		स्थाई		पुरानी आबादी
10	मवाना	एची कला	116	0.126	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.006	0.12		स्थाई		पुरानी आबादी बनी है।
11	मवाना	ऐची खुर्द	339	0.784	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.654	0.13		स्थाई		आंशिक भाग पर पानी व आंशिक भाग पर पुरानी आबादी
12	मवाना	ऐतमादपुर	368	0.885	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.7	0.19		स्थाई		आंशिक रूप से अतिक्रमण है
13	मवाना	ऐतमादपुर	368	0.885	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.7	0		स्थाई		आंशिक रूप से अतिक्रमण है

7/18

14	मवाना	ऐतमादपुर	374	0.354	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0.254	0		स्थाई		पानी है आंशिक अतिक्रमण है
15	मवाना	कायस्थ बड्डा	1035	0.139	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.14		स्थाई		गांव के बीच में पुरानी आबादी बनी है
16	मवाना	कारामपुर	499	0.481	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.48		स्थाई		अनुसूचित जाति की पुरानी आबादी
17	मवाना	कालन्पुर	509/ख	0.63	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति.	0	0.63		स्थाई		अनुसूचित जाति की पुरानी आबादी
18	मवाना	किशनपुर बिराना	245	0.063	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.08		स्थाई		पुरानी आबादी बनी हुई है
19	मवाना	कुण्डा	96	0.405	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0.405	0		स्थाई		40 साल पुरानी आबादी बनी हुई है
20	मवाना	कैली रामपुर	0.3290	0.329	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0.144	0.19		स्थाई		आंशिक भाग में पुरानी आबादी बनी है
21	मवाना	कैली रामपुर	215	0.329	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0.144	0.19		स्थाई		आंशिक भाग में पुरानी आबादी बनी है
22	मवाना	कौहला	17	0.202	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0.202	0		स्थाई		पूर्ण रकबे पर पुरानी आबादी बनी है।
23	मवाना	कौहला	164	0.051	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.05		स्थाई		पूर्ण रकबे पर पुरानी आबादी बनी है।

24	मवाना	कोहला	196	0.126	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.13		स्थाई		पूर्ण रकबे पर पुरानी आबादी बनी है।
25	मवाना	खाईखेड़ा	110	0.316	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0.016	0.3		स्थाई		पुरानी आबादी बनी है।
26	मवाना	खानपुर बांगर	208	0.083	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.08		स्थाई		लगभग 60 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी स्थित है।
27	मवाना	गणेशपुर	601	0.468	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0.368	0.1		स्थाई		आबादी बनी हुई है।
28	मवाना	गणेशपुर	606	0.228	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.23		स्थाई		पुरानी आबादी बनी है
29	मवाना	गांव का चयन करें	1028	0.367	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0.32	0.05		स्थाई		पानी भरा हुआ है तथा पुरानी आबादी मन्दिर है तथा घास खड़ी हुई है
30	मवाना	गांव का चयन करें	374	0.354	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0.254	0.1		स्थाई		पानी है आंशिक अतिक्रमण है
31	मवाना	[illegible]पुर शकरपुर	435	0.316	ग्राम सभा / भूमि प्रबन्धक समिति	0	0		स्थाई		पुरानी आबादी

32	मवाना	गोविन्दपुर शकरपुर	435	0.316	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.32		स्थाई		पुरानी आबादी
33	मवाना	गोविन्दपुर शकरपुर	287	0.089	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.09		स्थाई		पुरानी आबादी
34	मवाना	अई	389	0.063	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.06		स्थाई		स्थाई अतिकृमण है
35	मवाना	जन्धेड़ी	252मि	0.873	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.8	0.07		स्थाई		आंशिक भाग पर आबादी बनी हुई है।
36	मवाना	जन्धेड़ी	241मि	0.215	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.21		स्थाई		पुरानी आबादी बनी हुई है
37	मवाना	झुनझुनी	1011	0.126	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.13		स्थाई		पूर्ण रकबे पर पुरानी आबादी बनी है।
38	मवाना	झुनझुनी	1012	0.164	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.16		स्थाई		पूर्ण रकबे पर पुरानी आबादी बनी है।
39	मवाना	ढिकौली (गैर आबाद)	190ख	1.266	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	1.2	0.07		स्थाई		0.0660हैक्टेयर पर स्थाई कब्जा है जिसका वाद न्यायालय में विचाराधीन है, बाकी क्षेत्रफल रिक्त है।

40	मवाना	तखावली	292	0.278	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.	0.28		स्थाई		50 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी बनी है
41	मवाना	ततीना	586	3.243	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	2	1.24		स्थाई		आंशिक भाग पर आबादी बनी हुई है।
42	मवाना	ततीना	472मि	0.443	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.4	0.04		स्थाई		आंशिक भाग पर आबादी बनी हुई है।
43	मवाना	तोफापुर	338 क	0.029	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.03		स्थाई		मौके पर पुरानी आबादी बनी हुई है
44	मवाना	दबथला	370	0.177	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.18		स्थाई		शिव मंदिर व देवता का समान बने हैं
45	मवाना	दयालपुर	7	0.164	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.082	0.08		स्थाई		पानी है कूड़ा पड़ा हुआ है कुछ रकबे पर मकान बना के कब्जा है
46	मवाना	दुर्वेशपुर	206	0.245	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.24		स्थाई		मौके पर पुरानी आबादी बनी हुई है
47	मवाना	धनपुर	241 मी	0.405	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.41		स्थाई		मौके पर पुरानी आबादी बनी हुई है
48	मवाना	धनपुर.	477	0.569	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.5	0.07		स्थाई		मौके पर तालाब समतल है एवं मंदिर बना हुआ है
49	मवाना	नगला साहू	86	0.379	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.3096	0.07		स्थाई		पुरानी आबादी के मध्य स्थित है।

50	मवाना	नंगला साहू	86	0.379	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.3096	0		स्थाई		पुरानी आबादी के कथ विद्यमान है।
51	मवाना	नंगली किठौर	843	0.139	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.14		स्थाई		तालाब पर जू0 हाई0 स्कूल बना हुआ है जो 30 वर्ष पूर्व बना है।
52	मवाना	नगली ईसा	354	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.1		स्थाई		लगभग 50 वर्ष पुरानी आबादी है।
53	मवाना	नवलसूरजपुर	४८५	0	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0		स्थाई		जोहड़ के रकबा मैं पुरानी आबादी बनी हुई है मौके पर खाली नहीं है
54	मवाना	नारंगपुर	150 mi	0.696	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.65	0.05		स्थाई		मौके की स्थिति के अनुसार खसरा सं0 150 के पूर्ण भाग मे आबादी बनी हुई है। ग्राम की मुख्य आबादी मे स्थित है। उक्त खसरा सं0 की अपनी कोई पृथक से आकृति नही है।
55	मवाना	परीक्षतगढ़	1124	0.76	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.76	0		स्थाई		चकबन्दी से पूर्व की आबादी बनी है।
56	मवाना	परीक्षतगढ	1171	0.126	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.126	0		स्थाई		स्थानीय पूछताछ से चकबन्दी से पूर्व की आबादी बनी है।
57	मवाना	परीक्षतगढ	1052	0.228	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.228	0		स्थाई		स्थानीय पूछताछ से चकबन्दी से पूर्व की आबादी बनी है।
58	मवाना	परीक्षतगढ	1173	0.89	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.89	0		स्थाई		स्थानीय पूछताछ से चकबन्दी से पूर्व की आबादी बनी है।

12/18

59	मवाना	परीक्षतगढ	717	0.089	नगर पंचायत परीक्षितगढ.	0	0.09		स्थाई		मेरठ असीफाबाद बस यूनियन द्वारा नगर पंचायत परीक्षितगढ बनाम बस यूनियन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक वाद विचाराधीन है
60	मवाना	परीक्षतगढ	715	0.405	नगर पंचायत परीक्षितगढ	0.3	0.11		स्थाई		नगर पंचायत परीक्षितगढ को संबंधित कब्जे दारों के खिलाफ कार्रवाई हेतु रिपोर्ट. प्रेषित की जा चुकी है
61	मवाना	पहाड़पुर	207	0.126	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.13		स्थाई		लगभग 25 वर्ष पुरानी आबादी है।
62	मवाना	पूठी	1189	0.038	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.038	0		स्थाई		रास्ते के रूप में प्रयोग हो रहा है।
63	मवाना	बना	484	0.215	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.21		स्थाई		लगभग 30 वर्ष पुरानी आबादी है।
64	मवाना	बना	436	0.164	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.16		स्थाई		लगभग 30 वर्ष पुरानी आबादी है।
65	मवाना	बहसूमा	405	1.48	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.766	0.71		स्थाई		50 वर्ष से अधिक पुरानी आबादी

18|18

66	मवाना	बहसूमा	407	0.974	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.82	0.15		स्थाई		50 वर्ष से अधिक पुरानी आबादी
67	मवाना	बहसूमा	274	0.304	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.3		स्थाई		पुरानी आबादी
68	मवाना	बहादुरपुर	242	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.101	0		स्थाई		मौके पर पूरे क्षेत्रफल में पुरानी आबादी बनी हुई है
69	मवाना	भैसा	924	0.423	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.42		स्थाई		लगभग 50 वर्ष पूर्व की आबादी है
70	मवाना	भैसा	924	0.423	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0		स्थाई		लगभग 50 वर्ष पूर्व की आबादी है
71	मवाना	भैसा	924	0.423	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0		स्थाई		लगभग 50 वर्ष पूर्व की आबादी है
72	मवाना	मटौरा	363/1, 363/2	1.011	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.99	0.02		स्थाई		लगभग 15 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी स्थित है।
73	मवाना	मटौरा	264	0.035	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.02	0.02		स्थाई		लगभग 15 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी स्थित है।
74	मवाना	मवाना कला प्रथम	2160	0.468	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.063	0.53		स्थाई		लगभग [illegible] वर्ष पुरानी आबादी है।
75	मवाना	मवाना खुर्द	580	2.099	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.756	1.34		स्थाई		आंशिक भाग पर पक्के मकान बने है।
76	मवाना	माखननगर	13	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.101	0		स्थाई		मौके पर पुरानी आबादी बनी हुई है

77	मवाना	माखननगर	18	0.076	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.076	0		स्थाई		मौके पर स्थाई आबादी है
78	मवाना	माखननगर	18	0.078	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.076	0		स्थाई		मौके पर स्थाई आबादी है
79	मवाना	माखननगर	20	0.304	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.304	0		स्थाई		पुरानी आबादी बनी है तथा कूड़ा करकट पड़ा है
80	मवाना	मीवा	630	0.164	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.16		स्थाई		पुरानी आबादी बनी हुई हैं
81	मवाना	मीवा	559	0.987	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.687	0.3		स्थाई		आंशिक भाग पर आबादी बनी हुई है।
82	मवाना	मीवा	557	0.329	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.33		स्थाई		पुरानी आबादी बनी हुई हैं
83	मवाना	मीवा	549	0.215	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.21		स्थाई		पुरानी आबादी बनी हुई है
84	मवाना	मीवा	564	0.051	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.05		स्थाई		पुरानी आबादी बनी हुई हैं
85	मवाना	मीवा	410	0.025	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.03		स्थाई		पुरानी आबादी बनी हुई हैं
86	मवाना	मुबरिकपुर	55	0.114	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.11		स्थाई		आबादी पुरानी
87	मवाना	मुबरिकपुर	149	0.228	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.23		स्थाई		पुरानी आबादी बनी है
88	मवाना	मुरादगांवपुर /कुआखेड़ा	42	0.051	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.05		स्थाई		मौके पर पुरानी आबादी बनी है
89	मवाना	मौड़ कला	152	0.063	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.06		स्थाई		50 वर्ष से अधिक पुरानी आबादी

90	मवाना	मोड़ कला	91	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.1		स्थाई		50 वर्ष से पुरानी आबादी रास्ता
91	मवाना	मोड़ कला	152	0.063	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.06		स्थाई		50 वर्ष से अधिक पुरानी आबादी
92	मवाना	मोड़ कला	134	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.1		स्थाई		50 वर्ष से अधिक पुरानी आबादी
93	मवाना	रसूलपुर इकला	273क	0.51	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.51		स्थाई		लगभग 5 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी स्थित है।
94	मवाना	राछौती	499	0.557	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.3	0.26		स्थाई		मौके पर स्थाई आबादी है
95	मवाना	राछौती	692	0.231	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.1	0.13		स्थाई		मौके पर पुरानी आबादी है और तालाब की सफाई होनी है
96	मवाना	राधना इनायतपुर	1673	0.152	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.16		स्थाई		मौके पर पुरानी आबादी है।
97	मवाना	ललियाना	1572	0.241	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.24		स्थाई		पुरानी आबादी
98	मवाना	लुत्फुल्लापुर बकसर	186	0.132	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.13		स्थाई		आबादी/पक्के मकान बने हैं
99	मवाना	समसपुर	253	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.1		स्थाई		50 वर्ष से अधिक पुरानी आबादी

100	नवाना	सिखैडा	605	0.152	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.122	0.03		स्थाई		आंशिक भाग पर पुरानी आबादी बनी है।
101	नवाना	सिखैडा	577	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.001	0.1		स्थाई		आंशिक भाग को छोड़कर पूरे भाग पर पुरानी आबादी बनी है।पानी नही है।
102	नवाना	सिखैडा	328	0.594	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.204	0.39		स्थाई		आंशिक भाग पर आबादी है तथा आंशिक भाग पर कूड़ा घास फूस आदि है।
103	नवाना	सिखैडा	568	0.089	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.069	0.02		स्थाई		पुरानी आबादी व रास्ता है।पानी नही है।
104	नवाना	सैदीपुर सादीपुर।रा0	278	0.076	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.08		स्थाई		लगभग 15 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी स्थित है।
105	नवाना	सैदीपुर सादीपुर।रा0	275	0.139	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.14		स्थाई		लगभग 15 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी स्थित है।
106	नवाना	सैदीपुर सादीपुर।रा0	280	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.1		स्थाई		लगभग 15 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी स्थित है।
107	नवाना	सैदीपुर सादीपुर।रा0	280	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0		स्थाई		लगभग 15 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी स्थित है।

108	मवाना	सैदीपुर सादीपुर।रा0 1	249	0.164	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.16		स्थाई		लगभग 15 वर्ष पूर्व पुरानी आबादी स्थित है।
109	मवाना	सैफपुर कर्म	338	0.032	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.03		स्थाई		गुरुद्वारे के प्रयोग मे
110	मवाना	चन्दपुर सोना	262	0.051	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.05		स्थाई		मौके पर पुरानी आबादी बनी हुई है
111	मवाना	हसनपुर कलां	266	0.101	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0	0.1		स्थाई		पुरानी आबादी बनी हुई है
112	मवाना	हसनपुर कलां	740	0.746	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति	0.4	0.35		स्थाई		पुरानी आबादी बनी हुई है

कार्यालय उपजिलाधिकारी सरधना

पत्रांक 3365 RK/एस0डी0एस0/2024–25 दिनांक 26/04/2025

अपरजिलाधिकारी (प्र0)
मेरठ।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ (भूलेख–अनुभाग) के पत्रांक 1072/सात–डी0 एल0आर0सी0/2024 दिनांक 23.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली मे योजित ओ0स0 सं0 929/2024 tribunal on its own motion state of up व अन्य मे विगत सुनवाई दिनांक 26.11.2024 को दिये गये निर्देश –

Pursuant to order dated 04.09.2024, a report vide letter dated 11.11.2024 has been sent by District Magistrate, Meerut which contains details of 3528 ponds out of which 3144 are in rural areas and 384 are in urban areas. Number of ponds, encroachment free, are 2949 while 61 ponds are encroached by raising temporary structures and 570 ponds by raising permanent structures. It is also said that in respect of 80 such encroachment matters, proceedings under Section 67 of UP Revenue Court are pending while in two matters proceedings under Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 are pending but what about in remaining matters, nothing has been in the said report. It is also silent as to what action has to be taken by District Magistrate for removal of encroachment in cases where no matter is sub-judice before any judicial or quasi-judicial forum.

Let the reply be filed by District Magistrate placing on record the attempts and efforts made for removal of encroachment from the ponds which are admittedly encroached so as to comply with the direction of Supreme Court as contained in Hinch Lal Tiwari versus Kamla Devi & Ors. (2001) 6 SCC 496. The said reply shall be filed within two months. We hope and trust that within this period effective action shall be taken by District Magistrate for removal of encroachment and making as much ponds as possible, encroachment free, and action taken report shall be filed as directed above.

के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके सम्बन्ध मे अनुपालन आख्या निम्नवत है :–

Letter dk

1–तहसील सरधना कुल तालाबो की संख्या 1055 है, जिसमे से 132 तालाबो पर स्थायी कब्जा पाया गया। 05 तालाबो पर अस्थायी कब्जा पाया गया था। तहसील सरधना मे शेष 918 तालाब पर कोई कब्जा नही पाया गया।

2– अवगत कराना है कि जिन 05 तालाबो पर अस्थायी कब्जा पाया गया था उनको पूर्णतः कब्जामुक्त करा दिया गया है।

3– अवगत कराना है कि जिन 132 तालाबो पर स्थाई कब्जा था उनमे से 26 तालाबो पर राजस्व संहिता की धारा 67(1) के अन्तर्गत वाद दर्ज कर दिन प्रतिदिन सुनवाई करने के उपरान्त ग्राम डाहर व ग्राम सिवायाजमाउल्लापुर के तालाबो पर मा0 न्यायालय से वाद निस्तारण उपरान्त बेदखली की कार्यवाही कर दी गयी है। शीघ्र शेष तालाबो पर कब्जे को लेकर दिन प्रतिदिन सुनवाई करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही कर कब्जामुक्त करा दिया जायेगा।

4– अवगत कराना है कि अवैध कब्जे वाले तालाबो मे 07 तालाबो पर (जो नगर पालिका या नगर पंचायत सीमा मे स्थित है) कब्जेदारो के विरूद्व पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत वाद दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

5– अवगत कराना है तालाबो पर अवैध कब्जे के विरूद्व अभियान चलाकर विगत 02 माह मे 12 तालाबो से कब्जा हटा दिया गया है।

6– इस प्रकार कुल 132 तालाबो पर स्थायी कब्जा पाया गया था, उनमे से शेष 87 तालाबो पर काफी पुरानी ग्राम आवादी (लगभग 30 से 40 वर्ष) है, जिसके सम्बन्ध मे स्थलीय व अभिलेखीय जांच करायी जा रही है। जांच के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आख्या महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

उपजिलाधिकारी
सरधना।
उप जिलाधिकारी
सरधना

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी मेरठ महोदय की सेवा मे सादर सूचनार्थ।

उपजिलाधिकारी
सरधना।
उप जिलाधिकारी
सरधना

26/04/06
तहसीलदार
सरधना

न्यायलय तहसीलदार सरधना जनपद मेरठ में धारा 67 के अर्न्तगत तालाबों का अद्यतन विवरण

क्रमांक	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	अनाधिकृत कब्जे का प्रकार	स्थाई कब्जा	अस्थाई कब्जा	वाद संख्या	कृत कार्यवाही
1	छुर	467	0.1140	आबादी	135मी०	–	T202011520403809	दिनांक 21.03.2025 को वाद निस्तारित
2		467	0.1140	आबादी	120मी०	–	T202011520403804	दिनांक 21.03.2025 को वाद निस्तारित
3		467	0.1140	आबादी	135मी०	–	T202011520403806	दिनांक 21.03.2025 को वाद निस्तारित
4		467	0.1140	आबादी	135मी०	–	T202011520403808	दिनांक 21.03.2025 को वाद निस्तारित
5		467	0.1140	आबादी	135मी०	–	T202011520403810	दिनांक 21.03.2025 को वाद निस्तारित
6	गेसूपुर बफावत	248	1.6170	आबादी	156मी०	–	T202211520405165	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
7		248	1.6170	आबादी	23.37मी०	–	T202211520405172	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
8		248	1.6170	मकान	74.48 मी०	–	T202211520405167	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
9		248	1.6170	आबादी	128 मी०	–	T202211520405179	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
10	मैनापुठी	106	0.4550	आबादी	230मी०	–	T202211520407550	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
11		106	0.4550	आबादी	183 मी०	–	T202211520407551	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
12		106	0.4550	आबादी	395मी०	–	T202211520407552	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
13	सालावा	391	0.1640	आबादी	133मी०	–	T202211520402547	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
14		391	0.1640	आबादी	240मी०	–	T202211520402545	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
15	मुकीमपुर पल्हैडा	395	1.3300	आबादी	300मी०	–	T202211520403806	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
16	सिवाया जमालउल्लापुर	547	0.2150	आबादी	70मी०	–	T202111520400031	वाद निस्तारित
17	महादेव	1375	2.1120	दीवार	25मी०	–	T202211520405033	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।

318

18	मैनापुरी	141 मि0	0.1400	आबादी	42मी0	–	T202311520405353	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
19		141 मि0	0.1400	आबादी	156मी0	–	T202311520405352	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
20		141 मि0	0.1400	आबादी	84मी0	–	T202311520405351	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
21		141 मि0	0.1400	आबादी	420मी0	–	T202311520405350	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
22	जटौली	1543 मि0	1.5430	आबादी	71मी0	–	T202211520400015	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
23		1543 मि0	1.5430	आबादी	50मी0	–	T202211520400017	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
24		1543 मि0	1.5430	आबादी	142मी0	–	T202211520400001	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
25		1543 मि0	1.5430	आबादी	88मी0	–	T202211520400012	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
26		1543 मि0	1.5430	आबादी	58मी0	–	T202211520400018	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
27		1543 मि0	1.5430	आबादी	117मी0	–	T202211520400016	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
28		1543 मि0	1.5430	आबादी	117मी0	–	T202211520400030	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
29		1543 मि0	1.5430	आबादी	110मी0	–	T202211520400007	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
30		1543 मि0	1.5430	आबादी	186मी0	–	T202211520400013	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
31	भामौरी	775	0.0880	आबादी	107मी0	–	T202311520408922	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
32		775	0.0880	आबादी	250मी0	–	T202311520408925	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
33		775	0.0880	आबादी	125मी0	–	T202311520408923	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
34		775	0.0880	आबादी	340मी0	–	T202311520408924	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।

418

न्यायालय उपजिलाधिकारी सरधना जनपद मेरठ में धारा पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत तालाबों का अद्यतन विवरण

क्रमांक	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	अनाधिकृत कब्जे का प्रकार	स्थाई कब्जा	अस्थाई कब्जा	वाद संख्या	कृत कार्यावाही
1	नगर पंचायत परिषद हर्रा	2184	0.3025	आबादी	177मी0	—	T202411520408592	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
2		2184	0.3025	आबादी	56मी0	—	T202411520408593	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
3		2184	0.3025	आबादी	286.5मी0	—	T202411520408598	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
4		2184	0.3025	आबादी	82मी0	—	T202411520408594	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
5		2184	0.3025	आबादी	90.61मी0	—	T202411520408596	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
6		2184	0.3025	आबादी	90.78मी0	—	T202411520408597	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
7		2184	0.3025	आबादी	90.61मी0	—	T202411520408595	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
8		2184	0.3025	आबादी	241मी0	—	T202411520408589	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
9		2184	0.3025	आबादी	296मी0	—	T202411520408590	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
10		2184	0.3025	आबादी	140मी0	—	T202411520408591	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
11	नगर पालिका परिषद सरधना	2547	0.1520	चारदीवारी	1520मी0	—	T201711520043560	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
12		1905	0.6950	चारदीवारी	6950मी0	—	T201711520043561	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
13		2488	0.6018	आबादी	60मी	—	T202411520408284	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
14		2488	0.6018	आबादी	80मी	—	T202411520408278	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
15		2488	0.6018	आबादी	50मी	—	T202411520408250	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
16		2488	0.6018	आबादी	100मी	—	T202411520408267	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
17		2488	0.6018	आबादी	20मी	—	T202411520408279	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
18		2488	0.6018	आबादी	70मी	—	T202411520408282	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।

8/8

19	नगर पालिका परिषद रायधना	2488	0.6018	आबादी	60मी	-	T202411520408289	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
20		2488	0.6018	आबादी	60मी	-	T202411520408276	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
21		2488	0.6018	आबादी	40मी	-	T202411520408280	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
22		2488	0.6018	आबादी	50मी	-	T202411520408275	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
23		2488	0.6018	आबादी	54मी	-	T202411520408268	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
24		2488	0.6018	आबादी	60मी	-	T202411520408269	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
25		2488	0.6018	आबादी	100मी	-	T202411520408292	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
26		2488	0.6018	आबादी	60मी	-	T202411520408296	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
27		2488	0.6018	आबादी	60मी	-	T202411520408270	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
28		2488	0.6018	आबादी	50मी	-	T202411520408272	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
29		2488	0.6018	आबादी	108मी	-	T202411520409582	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
30		2488	0.6018	आबादी	42मी	-	T202411520409587	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
31		2488	0.6018	आबादी	17.5मी	-	T202411520409585	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
32		2488	0.6018	आबादी	70मी	-	T202411520409583	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
33		2488	0.6018	आबादी	21मी	-	T202411520408611	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
34		2488	0.6018	आबादी	60मी	-	T202411520408610	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
35		2488	0.6018	आबादी	280मी	-	T202411520409580	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
36		2488	0.6018	आबादी	200मी	-	T202411520409581	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
37		2488	0.6018	आबादी	12मी	-	T202411520408606	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
38		2488	0.6018	आबादी	150मी	-	T202411520408601	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
39		2488	0.6018	आबादी	300मी	-	T202411520408600	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।

40		2488	0.6018	आबादी	48मी	—	T202411520408608	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
41		2488	0.6018	आबादी	198मी	—	T202411520408607	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
42		2488	0.6018	आबादी	72मी	—	T202411520409591	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
43		2488	0.6018	आबादी	120मी	—	T202411520409598	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
44		2488	0.6018	आबादी	60मी	—	T202411520409594	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
45		2488	0.6018	आबादी	110मी	—	T202411520409599	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
46		2488	0.6018	आबादी	56मी	—	T202411520409593	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
47		2488	0.6018	आबादी	24मी	—	T202411520409592	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
48		2488	0.6018	आबादी	12मी	—	T202411520409595	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
49		2488	0.6018	आबादी	56मी	—	T202411520409600	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
50		2488	0.6018	आबादी	120मी	—	T202411520408605	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
51	नगर पालिका परिषद सरधना	2488	0.6018	आबादी	52.5मी	—	T202411520409601	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
52		2488	0.6018	आबादी	120मी	—	T202411520409602	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
53		2488	0.6018	आबादी	67मी	—	T202411520409579	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
54		2488	0.6018	आबादी	49मी	—	T202411520409597	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
55		2461	1.1020	आबादी	80मी	—	T202411520409588	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
56		2461	1.1020	आबादी	120मी	—	T202411520409589	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
57		2461	1.1020	आबादी	35मी	—	T202411520409586	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
58		2461	1.1020	आबादी	330मी	—	T202411520408609	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
59		2461	1.1020	आबादी	05मी	—	T202411520408604	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
60		2461	1.1020	आबादी	48मी	—	T202411520408603	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।

61		2461	1.1020	आबादी	225मी	—	T202411520408599	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
62		2461	1.1020	आबादी	105मी	—	T202411520409586	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
63		2461	1.1020	आबादी	160मी	—	T202411520409604	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
64		2461	1.1020	आबादी	100मी	—	T202411520409603	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
65		2461	1.1020	आबादी	120मी	—	T202411520409584	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।
66		2461	1.1020	आबादी	100मी	—	T202411520409590	दिन प्रति दिन सुनवाई की जा रही है। शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी।

Annexure R-4

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार,न्यायिक
मण्डल :मेरठ,जनपद :मेरठ,तहसील :मवाना
वाद संख्या :-8173/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202211520308173
ग्राम सभा बनाम इलियास
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

::निर्णय::

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत आख्या दिनांक 15.11.2022 के आधार पर याजित है। जिसमे कहा गया है कि खसरा न0 216 रकबा 0.3920 है0 स्थित ग्राम बहोड़ुपूर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना माल कागजात मे जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति अंकित है जिसके 90 वर्ग मी0 रकबे पर विपक्षी इलियास पुत्र रज्जाक ग्राम वासी के द्वारा टीन डालकर 1428 फसली पूर्व से अनाधिकार कब्जा कर रखा है। विपक्षी को क्षति पूर्ति सहित बेदखल किये जाने की मांग की है।

वाद को पंजीकृत कर नियमानुसार नोटिस आर0सी0 प्रपत्र–20 जारी किया गया जो बाद तामिल पत्रावली पर उपलब्ध है। तामिली उपरान्त भी विपक्षी न्यायालय मे उपस्थित नही आया और ना ही उसके द्वारा जारी नोटिस पर कोई आपत्ति दाखिल की गयी। जससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को जारी क्षतिपूर्ति एव बेदखली का नोटिस उसे स्वीकार है। ग्राम सभा की ओर से क्षेत्रीय लेखपाल के ब्यान अंकित कराये गये। लेखपाल के द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत रिर्पोट की पुष्टि की है तथा विपक्षी का खसरा सं0 216 के 90 वर्ग मी0 रकबे पर अनाधिकृत कब्जा बताया है।

नियत दिनांक को नामिका अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे दाखिल रिर्पोट एव लेखपाल के ब्यानो से आपत्तिकर्ता का खसरा सं0 216 के 90 वर्ग मी0 रकबे जोहड ग्राम समाज समाज सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा सिद्ध है। अतः विपक्षी को क्षतिपूर्ति सहित बेदखल किया जाना न्याय संगत है।

::आदेश::

ग्राम बहोड़ुपूर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना के खसरा न0 216 रकबा 0.3920 है0 जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति के रकबा 90 वर्ग मी0 रकबे पर विपक्षी इलियास पुत्र रज्जाक निवासी ग्राम बहोड़ूपुर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना को बेदखल किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 5 प्रतिशत से क्षतिपूर्ति हर्जाना अंकन 5850/रुपये (पॉच हजार आठ सौ पचास रूपये) वाद व्यय एव निष्पादन शुल्क 1000/रुपये आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र–21 वसूली हेतु व आर0सी0प्रपत्र–67::3:: बेदखली हेतु जारी हो। पत्रावली बाद हर्जा वसूली एव बेदखली दाखिल दफतर हो।

दिनांक:: 15/03/2025

(रणविजय सिंह)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार
मवाना

NOTARY
M.P.S. RAJPUT
DISTT. MEERUT
REGD. NO.
46
GOVT. OF INDIA

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार,न्यायिक
मण्डल :मेरठ,जनपद :मेरठ,तहसील :मवाना
वाद संख्या :-8174/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202211520308174
ग्राम सभा बनाम कामिल
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

::निर्णय::

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत आख्या दिनांक 15.11.2022 के आधार पर याजित है। जिसमे कहा गया है कि खसरा न0 216 रकबा 0.3920 है0 स्थित ग्राम बहोड्डपुर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना माल कागजात मे जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति अंकित है जिसके 80 वर्ग मी0 रकबे पर विपक्षी कामिल पुत्र हासम ग्राम वासी के द्वारा टीन डालकर 1428 फसली पूर्व से अनाधिकार कब्जा कर रखा है। विपक्षी को क्षति पूर्ति सहित बेदखल किये जाने की माँग की है।

वाद को पंजीकृत कर नियमानुसार नोटिस आर0सी0 प्रपत्र–20 जारी किया गया जो बाद तामिल पत्रावली पर उपलब्ध है। तामिली उपरान्त भी विपक्षी न्यायालय मे उपस्थित नही आया और ना ही उसके द्वारा जारी नोटिस पर कोई आपत्ति दाखिल की गयी। जससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को जारी क्षतिपूर्ति एव बेदखली का नोटिस उसे स्वीकार है। ग्राम सभा की ओर से क्षेत्रीय लेखपाल के ब्यान अंकित कराये गये। लेखपाल के द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत रिपोर्ट की पुष्टि की है तथा विपक्षी का खसरा सं0 216 के 80 वर्ग मी0 रकबे पर अनाधिकृत कब्जा बताया है।

नियत दिनांक को नामिका अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे दाखिल रिपोर्ट एव लेखपाल के ब्यानो से आपत्तिकर्ता का खसरा सं0 216 के 80 वर्ग मी0 रकबे जोहड ग्राम समाज समाज सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा सिद्ध है। अतः विपक्षी को क्षतिपूर्ति सहित बेदखल किया जाना न्याय संगत है।

::आदेश::

ग्राम बहोड्डपुर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना के खसरा न0 216 रकबा 0.3920 है0 जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति के रकबा 80 वर्ग मी0 रकबे पर विपक्षी कामिल पुत्र हासम निवासी ग्राम बहोड्डपुर परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना को बेदखल किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 5 प्रतिशत से क्षतिपूर्ति हर्जाना अंकन 5200/रूपये (पाँच हजार दौ सौ रूपये) वाद व्यय एव निष्पादन शुल्क 1000/रुपये आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र–21 वसूली हेतु व आर0सी0प्रपत्र–67::3:: बेदखली हेतु जारी हो। पत्रावली बाद हर्जा वसूली एव बेदखली दाखिल दफतर हो।

दिनांक:: 25/03/2025

(रणविजय सिंह)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

NOTARY
M.P.S. R...
DISTT. M...
REGD. ...
GOVT. OF

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार,न्यायिक
मण्डल :मेरठ,जनपद :मेरठ,तहसील :मवाना
वाद संख्या :-5534/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202211520305534
ग्राम सभा बली बनाम रूपचन्द
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

:निर्णय:

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत आख्या दिनांक 02.08.2022 के आधार पर याजित है। जिसमे कहा गया है कि खसरा सं0 164 रकबा 0.3790 है0 माल कागजात मे जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति अंकित है जिसके 107 वर्ग मी0 रकबे पर विपक्षी रूपचन्द पुत्र मखोल ग्राम वासी के द्वारा पक्की दीवार बनाकर 1428 फसली से अनाधिकार कब्जा कर रखा है। विपक्षी को क्षति पूर्ति सहित बेदखल किये जाने की मांग की है।

वाद को पंजीकृत कर नियमानुसार नोटिस आर0सी0 प्रपत्र–20 जारी किया गया जो बाद तामिल पत्रावली पर उपलब्ध है। वाद मे दिनांक 08.08.2024 को विपक्षी के द्वारा आपत्ति दाखिल करते हुऐं मुख्य रुप से कहा है कि आपत्तिकर्ता 67 द्वारा अपेक्षित दिया गया नोटिस बिल्कुल निराधार झूठा व मनघडत है। आपत्तिकर्ता का भूखण्ड सं0 164 रकबा 0.0379 है0 पर कोई कब्जा नही है। आपत्तिकर्ता को दिया गया नोटिस गांव की पार्टी बाजी के आधार पर दिया है। जो खण्डित होने योग्य है। उक्त करणो के आधार पर जारी नोटिस आर0सी0 प्रपत्र–20 वापस लिये जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षो को साक्ष्य का समान अवसर प्रदान किया गया। ग्राम सभा की ओर से क्षेत्रीय लेखपाल के ब्यान अंकित कराये गये। लेखपाल के द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत रिर्पोट की पुष्टि की है तथा विपक्षी का ख0न0 164 के 107 वर्ग मी0 रकबे पर पक्की दीवार बनाकर अनाधिकृत कब्जा बताया है। विपक्षी को जिरह एव साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया किन्तु विपक्षी न तो न्यायालय मे उपस्थित आया ओर ना ही उसके द्वारा कोई सक्ष्य पत्रावली मे दाखिल किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा ग्राम समाज सम्पत्ति जोहड पर पक्की दीवार बनाकर अनाधिकार कब्जा किया गया। जिस कारण विपक्षी का जिरह एव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

नियत दिनांक को नामिका अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे दाखिल रिर्पोट एव लेखपाल के ब्यानो से आपत्तिकर्ता का ख0न0 164 के 107 वर्ग मी0 रकबे जोहड ग्राम समाज समाज सम्पत्ति पर सिद्व है। आपत्तिकर्ता के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नही किया है जिससे यह साबित हो कि उसका ग्राम समाज सम्पत्ति जोहड पर अनाधिकार कब्जा न हो। अतः विपक्षी को क्षतिपूर्ति सहित बेदखल किया जाना न्याय संगत है।

:आदेश:

ग्राम बली परगना किठौर तहसील मवाना के ख0न0 164 रकबा 0.3790 है0 जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति के रकबा 107 वर्ग मी0 से विपक्षी रूपचन्द पुत्र मखोल निवासी ग्राम नंगला सलेमपुर परगना किठौर तहसील मवाना को बेदखल किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 6 प्रतिशत से क्षतिपूर्ति हर्जाना अंकन 6420/रुपये (छः हजार चार सौ बीस रूपये) वाद व्यय एव निष्पादन शुल्क 1000/रुपये आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र–21 वसूली हेतु व आर0सी0प्रपत्र–67:3: बेदखली हेतु जारी हो। पत्रावली बाद हर्जा वसूली एव बेदखली दाखिल दफतर हो।

दिनांक 25/3/2025

(रणविजय सिंह)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

NOTARY
M.P.S. RAJPUT
DISTT. MEERUT
REGD. 468
GOVT. OF INDIA

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार,न्यायिक
मण्डल :मेरठ,जनपद :मेरठ,तहसील :मवाना
वाद संख्या :-2207/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202211520302207
गाँव सभा अहमदपुरी उर्फ ऐमनपुरी बनाम कृपाल
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

::निर्णय::

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत आख्या दिनांक 11.04.2022 के आधार पर याजित है। जिसमे कहा गया है कि खसरा न0 346 रकबा 0.0630 है0 स्थित ग्राम अहमदपुरी उर्फ ऐमनपुरी परगना किठौर तहसील मवाना माल कागजात मे जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति अंकित है जिसके 630 वर्ग मी0 रकबे पर विपक्षी कृपाल पुत्र भागमल ग्राम वासी के द्वारा आबादी बनाकर 1428 फसली पूर्व से अनाधिकार कब्जा कर रखा है। विपक्षी को क्षति पूर्ति सहित बेदखल किये जाने की मांग की है।

वाद को पंजीकृत कर नियमानुसार नोटिस आर0सी0 प्रपत्र–20 जारी किया गया जो बाद तामिल पत्रावली पर उपलब्ध है। तामिली उपरान्त भी विपक्षी न्यायालय मे उपस्थित नही आया और ना ही उसके द्वारा जारी नोटिस पर कोई आपत्ति दाखिल की गयी। जससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को जारी क्षतिपूर्ति एव बेदखली का नोटिस उसे स्वीकार है। ग्राम सभा की ओर से क्षेत्रीय लेखपाल के ब्यान अंकित कराये गये। लेखपाल के द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत रिर्पोट की पुष्टि की है तथा विपक्षी का खसरा सं0 346 के 630 वर्ग मी0 रकबे पर अनाधिकृत कब्जा बताया है।

नियत दिनांक को नामिका अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे दाखिल रिर्पोट एव लेखपाल के ब्यानो से आपत्तिकर्ता का खसरा सं0 346 के 630 वर्ग मी0 रकबे जोहड ग्राम समाज समाज सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा सिद्ध है। अतः विपक्षी को क्षतिपूर्ति सहित बेदखल किया जाना न्याय संगत है।

::आदेश::

ग्राम अहमदपुरी उर्फ ऐमनपुरी परगना किठौर तहसील मवाना के खसरा न0 346 रकबा 0.0630 है0 जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति के रकबा 630 वर्ग मी0 से विपक्षी कृपाल पुत्र भागमल निवासी ग्राम अहमदपुरी उर्फ ऐमनपुरी परगना किठौर तहसील मवाना को बेदखल किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 5 प्रतिशत से क्षतिपूर्ति हर्जाना अंकन 8505/रुपये (आठ हजार पॉच सौ पॉच रुपये) वाद व्यय एव निष्पादन शुल्क 1000/रुपये आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र–21 वसूली हेतु व आर0सी0प्रपत्र–67:3: बेदखली हेतु जारी हो। पत्रावली बाद हर्जा वसूली एव बेदखली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 25/03/2025

(रणविजय सिंह)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार
मवाना

NOTARY M.P.S. DIST. MEERUT REGD. 168 GOVT. OF INDIA

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार,न्यायिक
मण्डल :मेरठ,जनपद :मेरठ,तहसील :मवाना
वाद संख्या :-1058/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202311520301058
ग्राम सभा पिलोना बनाम मेघराज सिंह
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

C-265
24/4/24

:निर्णय:

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा आर०सी० प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत आख्या दिनांक 14.02.2023 के आधार पर योजित है। जिसमे कहा गया है कि ग्राम पिलोना परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना के खसरा सं0 267/441 रकबा 0.8980 है0 माल कागजात मे जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति अंकित है जिसके 88 वर्ग मी0 रकबे पर विपक्षी मेघराज पुत्र यादरु ग्राम वासी के द्वारा पक्का मकान बनाकर बनाकर 1430 फसली से अनाधिकार कब्जा कर रखा है। विपक्षी को क्षति पूर्ति सहित बेदखल किये जाने की मांग की है।

वाद को पंजीकृत कर नियमानुसार नोटिस आर०सी० प्रपत्र–20 जारी किया गया जो बाद तामिल पत्रावली पर उपलब्ध है। वाद मे दिनांक 21.02.2024 को विपक्षी के द्वारा आपत्ति दाखिल करते हुये मुख्य रूप से कहा है कि आपत्तिकर्ता पर जारी नोटिस व लेखपाल रिपोर्ट खिलाफ वाकयात व खिलाफ कानून है। आपत्तिकर्ता का तालाब के खसरा नं0 267/441 रकबा 0.8980 है0 के किसी भी भाग पर कब्जा नही है ना ही किसी भाग पर पक्का मकान बना है। आपत्तिकर्ता का पक्का मकान खसरा सं0 255 रकबा 0.0890 है पर बना है जिसके पश्चिम मे खसरा सं0 257 कब्रिस्तान है व दक्षिण मे रास्ता/सडक खसरा सं0 256 है0 लेखपाल ने नक्शा नजरी मे जिस स्थान पर आपत्तिकर्ता का अवैध कब्जा होना बताया है उस स्थान पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। लेखपाल ने कोई फिक्स पोईन्ट मानकर पैमाईस करना अपनी रिपोर्ट मे नही लिखा है। लेखपाल ने पैमाईस की कोई रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत नही की है। लेखपाल ने बिना पैमाईस व मौके का निरीक्षण किये बिना गाव की पार्टी बाजी से प्रार्थी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट गलत तरीके से अवैध कब्जे की प्रस्तुत की है। लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट आर०सी० प्रपत्र–19 मे 88 वर्ग मी0 भूमि पर कब्जा बताया है और लेखपाल ने अपने मौक ब्यान मे 210 वर्ग मी0 पर कब्जा बताया है। जिससे साबित है कि लेखपाल ने मौके का मुआयना नही किया है। मौके की पैमाईस नही की है। लेखपाल ने मा0 न्यायालय मे हवाई रिपोर्ट दाखिल की है। जो खण्डित होने योग्य है। उक्त कारणो के आधार पर जारी नोटिस आर०सी० प्रपत्र–20 वापस लिये जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षो को साक्ष्य का समान अवसर प्रदान किया गया। ग्राम सभा की ओर से क्षेत्रीय लेखपाल के ब्यान अंकित कराये गये। लेखपाल के द्वारा आर०सी० प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत रिपोर्ट की पुष्टि की है तथा विपक्षी का ख0नं0 267/441 के 88 वर्ग मी0 रकबे पर पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा बताया है। विपक्षी को जिरह एव साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया किन्तु विपक्षी न तो न्यायालय मे उपस्थित आया और ना ही उसके द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली मे दाखिल किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा ग्राम समाज सम्पत्ति जोहड पर पक्का मकान बनाकर अनाधिकार कब्जा किया गया। जिस कारण विपक्षी का जिरह एव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

नियत दिनांक को नामिका अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे दाखिल रिपोर्ट एव लेखपाल के ब्यानो से आपत्तिकर्ता का ख0नं0 267/441 के 88 वर्ग मी0 रकबे जोहड ग्राम समाज समाज सम्पत्ति पर सिद्ध है। आपत्तिकर्ता के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नही किया है जिससे यह साबित हो कि उसका ग्राम समाज सम्पत्ति जोहड पर अनाधिकार कब्जा न हो। अतः विपक्षी को क्षतिपूर्ति सहित बेदखल किया जाना न्याय संगत है।

:आदेश:

ग्राम पिलोना परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना के खसरा सं0 267/441 रकबा 0.8980 है0 माल कागजात मे जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति के रकबा 88 वर्ग मी0 से विपक्षी मेघराज पुत्र यादरु निवासी ग्राम पिलोना परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना को बेदखल किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 5 प्रतिशत से क्षतिपूर्ति हर्जाना अंकन 12320/रुपये (बारह हजार तीन सौ बीस रूपये) वाद व्यय एव निष्पादन शुल्क 1000/रुपये आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर०सी० प्रपत्र–21 वसूली हेतु व आर०सी०प्रपत्र–67-3 बेदखली हेतु जारी हो। पत्रावली बाद हर्जा वसूली एव बेदखली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 25/3/2025

(रणविजय सिंह)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

पृष्ठ संख्या :

NOTARY
M.P.S. RAJPUT
DISTT. MEERUT
REGD. NO.
GOVT. OF INDIA

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार,न्यायिक
मण्डल :मेरठ,जनपद :मेरठ,तहसील :मवाना
वाद संख्या :-6387/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202311520306387
ग्राम सभा सनौता बनाम इकराम
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

::निर्णय::

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत आख्या दिनांक 26.08.2023 के आधार पर याजित है। जिसमे कहा गया है कि खसरा न0 113 रकबा 0.3290 है0 स्थित ग्राम सनौता परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना माल कागजात मे जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति अंकित है जिसके 64 वर्ग मी0 रकबे पर विपक्षी इकरामू पुत्र फीजू ग्राम वासी के द्वारा आबादी बनाकर 1429 फसली पूर्व से अनाधिकार कब्जा कर रखा है। विपक्षी को क्षति पूर्ति सहित बेदखल किये जाने की मांग की है।

वाद को पंजीकृत कर नियमानुसार नोटिस आर0सी0 प्रपत्र–20 जारी किया गया जो बाद तामिल पत्रावली पर उपलब्ध है। तामिली उपरान्त भी विपक्षी न्यायालय मे उपस्थित नही आया और ना ही उसके द्वारा जारी नोटिस पर कोई आपत्ति दाखिल की गयी। जससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को जारी क्षतिपूर्ति एव बेदखली का नोटिस उसे स्वीकार है। ग्राम सभा की ओर से क्षेत्रीय लेखपाल के ब्यान अंकित कराये गये। लेखपाल के द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 पर प्रस्तुत रिर्पोट की पुष्टि की है तथा विपक्षी का खसरा सं0 113 के 64 वर्ग मी0 रकबे पर अनाधिकृत कब्जा बताया है।

नियत दिनांक को नामिका अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे दाखिल रिर्पोट एव लेखपाल के ब्यान्रे से आपत्तिकर्ता का खसरा सं0 113 के 64 वर्ग मी0 रकबे जोहड ग्राम समाज समाज सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा सिद्ध है। अतः विपक्षी को क्षतिपूर्ति सहित बेदखल किया जाना न्याय संगत है।

::आदेश::

ग्राम सनौता परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना के खसरा न0 113 रकबा 0.3290 है0 जोहड ग्राम समाज सम्पत्ति के रकबा 60वर्ग मी0 से विपक्षी इकरामू पुत्र फीजू निवासी ग्राम सनौता परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना को बेदखल किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 5 प्रतिशत से क्षतिपूर्ति हर्जाना अंकन 4160/रुपये (चार हजार एक सौ साठ रूपये) वाद व्यय एव निष्पादन शुल्क 1000/रुपये आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र–21 वसूली हेतु व आर0सी0प्रपत्र–67::3:: बेदखली हेतु जारी हो। पत्रावली बाद हर्जा वसूली एव बेदखली दाखिल दफतर हो।

दिनांक 25/03/2025

(रणविजय सिंह)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार
मवाना

NOTARY
M.P.S. ...
DISTT. ME...
REGD. ...

पृष्ठ संख्या :

Annexure R-5

कार्यालय तहसीलदार मेरठ

पत्रांक 502 / रा0का0 / तालाब / मेरठ / 2025 दिनांकः– 28, अप्रैल, 2025

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 929 / 2024 Tribunal on its motion vs State of UP के सम्बन्ध में।

अपरजिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ (भूलेख अनुभाग) के पत्र संख्या–1151 / सात–डी0एल0आर0सी0 / 2024 दिनांक 21.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2024 का क्रियात्मक अंश उल्लिखित करते हुए, मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन हेतु इंगित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है, कि तहसील सदर मेरठ में धारा–67 के अन्तर्गत कुल 34 प्रकरण विचाराधीन हैं, तथा 0.1365 हे0 भूमि पर बेदखली की कार्यवाही की गयी है एवं 56 अस्थाई कब्जों में मौके पर कूड़ी बिटोड़े आदि बने हैं जिसमें से 06 अस्थाई कब्जे हटवा दिये गये हैं व स्थाई 248 कब्जे हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में कृतकार्यवाही की सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
मेरठ।